Seventeenth Loksabha

an>

15.01 hrs.

Title: Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022....Contd.

श्री राम कृपाल यादव (**पाटलिपुत्र**): महोदय, सबसे पहले तो मैं संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 का समर्थन करता हूँ ।

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के जो अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं, जिनके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, उनके लिए हमारी सरकार ने अनेकों काम किए हैं । चाहे समाज का दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि सभी लोगों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने काम किया है । कल माननीय मंत्री जी जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तब जनजातियों के लिए जो कार्यक्रम भारत सरकार के माध्यम से चलाये जा रहे हैं कि किस तरह से उनका जीवन सहज हो सके, वे अपलिफ्ट कर सकें, उन्होंने विस्तार से कई ऐसी योजनाओं का जिक्र किया था । पिछले 8 वर्षों के हमारी सरकार के कार्यकाल में ऐसे बहुत से काम हुए हैं और उनका बहुत सार्थक असर हुआ है । हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग और हर तबके की चिंता करने का काम किया है । कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो विकास से अछूता है और जिसे गरीबी, बदहाली, अशिक्षा आदि से निकालने का काम न किया हो । खास तौर पर उस जमाने से ये आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो वंचित समाज रहा है, जिनके ऊपर आजादी के बाद से ही जितना ध्यान देना चाहिए था, पूर्ववर्ती सरकार ने इनके ऊपर ध्यान नहीं देने का काम किया । ये लोग उस बदहाली से आज भी गुजर रहे थे । वर्ष 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनती है, तो उन्होंने जो सार्थक प्रयास किए हैं, उसके परिणाम आज दिख रहे हैं । उनके बच्चे पढ़-लिख रहे हैं, रोजी, रोजगार पा रहे हैं, उनके रहन-सहन आदि सभी चीजों में तब्दीली हुई है ।

महोदय, एक्चुअली यह बिल तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, मगर मैं सरकार और माननीय मंत्री जी से बिहार की लोहरा जाति के संदर्भ में आग्रह करना चाहूँगा । इस जाति के लोग बहुत परेशानी की हालत से गुजर रहे हैं । बिहार में लोहरा जाति की बहुत बड़ी व्यापक संख्या है । वर्ष 1950 से ही जनजातीय सूची में क्रमांक नंबर 20 पर यह अधिसूचित है । वर्ष 1976 में भी क्रमांक नंबर 22 पर हिन्दी और अंग्रेजी में भी इसे अधिसूचित किया गया है । 30 वर्षों के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय हिन्दी में दर्ज लोहार को बदलकर लोहरा कर दिया गया, जो संवैधानिक रूप से गलत था । इस तरह से लगभग 30 लाख लोहार को संवैधानिक हक से असंवैधानिक तरीके से वंचित करने का काम किया गया । यह केवल शब्द का खेल है, लोहरा और लोहार । हमारे यहाँ लोहार जाति कोई नहीं है,

अनुसूचित जाति है, लोहरा है और यह वही लोहरा है, जिसे लोहार बोलते हैं । बिहार सरकार वर्ष 1916 से लोहार जाति को जनजाति की सारी सुविधा देने का काम कर रही थी । जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा बनाए गए असंवैधानिक अधिनियम 48/2006 की वजह से मूल जनजाति समुदाय लोहार को जनजाति के लाभ से वंचित होना पड़ा, सरकार की इस पॉलिसी के अनुसार । बिहार सरकार ने लोहार जाति को वर्ष 2006 तक जनजाति की सुविधा देते रहने का काम किया था, परन्तु वर्ष 2015 में इस असंवैधानिक, गैर कानूनी और निरर्थक अधिनियम संख्या 48/2006 को एक्ट नंबर 23/2015 से रिपील करने का काम किया गया ।

लेकिन आज तक जनजातीय कार्य मंत्रालय में हिन्दी में लोहरा दर्ज है, उसको अभी तक जीवित रखने का काम किया गया है । जनजातीय कार्य मंत्रालय के इस रवैये की वजह से किसी को लाभ नहीं मिल रहा है । बिहार में जो लोहर जाति के लोग हैं, उनको किसी को भी लाभ नहीं मिल रहा है । लोहरा और लोहर में जो विभेद करने का काम किया है, यह उसकी वजह से है । क्योंकि बिहार में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लोहरा नाम की कोई जनजाति नहीं पाई जाती है । हमारे यहां झारखंड के बंटवारे के बाद जनजातियों की संख्या बहुत कम हो गई है । वह लगभग 2 परसेंट है ।

महोदय, संविधान के अनुच्छेद 242 के अंतर्गत जनजातीय सूची तैयार की जाती है । बिहार में लोहार जाति अधिनियम संख्या 108/1976 के जनजातीय सूची में हिन्दी में दर्ज है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार आज तक कायम है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि बिहार के लोहार समुदाय को अधिनियम संख्या 108/1976 के आधार पर बिहार सरकार को लोहार जाति को जनजाति की सारी सुविधाएं देने के लिए आदेशित किया जाए । मैं पुन: चाहूंगा कि जो पहले से आदेश था, उस आदेश को आप पुन: अपने स्तर पर निर्देशित करें । बिहार के लाखों लोग, जो लोहार हैं, जो जनजाति समुदाय से हैं, वे लाभ से वंचित हो रहे हैं । आप उनकी तरफ मुखातिब होइये और यह आदेश दीजिए, ताकि बिहार के लाखों लोहार समुदाय के बच्चों का भविष्य खराब न हो, क्योंकि वे परेशानी से गुजर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का, सदन का, सब का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बिहार में जो गलती हुई है, लोहार जाति को हिन्दी और अंग्रेजी में उलझा कर राज्य सरकार ने केन्द्र को गलत जानकारी दी है, जिसकी वजह से वह लाभ से वंचित हो रहे हैं ।

मैं अंत में निवेदन करूंगा, हमारे मंत्री जी बहुत सेंसेटिव हैं और पहले बिहार के ही बेटे थे । अब झारखंड और बिहार दो राज्य हो गए हैं । ये बिहार में माननीय विधायक भी थे । बिहार की पीड़ा से ये अवगत हैं । बिहार के बेटे होने के नाते और देश के बेटे होने के नाते, न सिर्फ बिहार में लोहार जाति है, बल्कि हिन्दुस्तान के हर इलाके में लोहार जाति है, जिनको लोहरा के नाम से जाना जाता है । मैं निवेदन करूंगा कि उनके साथ न्याय कीजिए और उनको रिजर्वेशन का जो लाभ पहले मिल रहा था, जिससे वह

विगत वर्षों से वंचित हो रहे हैं, आप यहां से राज्य सरकार को निर्देश दीजिए ताकि उनको वह सुविधा फिर से मिल सके । मैं इन्हीं शब्दों के साथ विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त कर हूं । धन्यवाद ।

माननीय सभापति: श्री अब्दुल खालेक जी । आप चार-पाँच मिनट में अपनी बात कहिए ।

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): माननीय सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश के ट्रांस गिरि इलाके के हाटी ट्राइब को जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए, जो बिल सदन में लाया गया है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । इस बिल पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको और अपनी पार्टी को बहुत-बहतु धन्यवाद देता हूं । सभापति महोदय, देश में सिर्फ हाटी ट्राइब ही नहीं है, बल्कि काफी ट्राइब्स हैं । जिन-जिन ट्राइब्स में जनजाति के सारे करेक्टरस्टिक्स हैं, वे जनजाति की मांग कर रहे हैं लेकिन ट्राइबल या जनजाति का दर्जा उसको नहीं मिल रहा है । वह काफी सालों से मांग कर रहे हैं ।

सभापति महोदय, सरकार को एक साथ इन सारे मुद्दों को लेना चाहिए । अगर हम लोग आज सदन के बिजनैस को देखें तो हिमाचल प्रदेश के लिए एक अलग बिल लगा है और कर्नाटक के लिए एक और बिल लिस्ट में है । पहले के सेशनों में भी कभी त्रिपुरा के लिए, कभी जम्मू कश्मीर के लिए दूसरी-दूसरी ट्राइब्स को ट्राइबल का दर्जा देने के लिए बिल लाए गए ।

सभापति महोदय, हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी मांग है, उन सभी मांगों को कम्पोजिट करना चाहिए और एक साथ सारी मांगों पर विचार करना चाहिए । जैसे असम की मांग है, अभी तो ठीक है कि मैं हिमाचल प्रदेश के इस बिल का समर्थन करता हूं ।

हिमाचल प्रदेश की जनता ने सत्ता पक्ष को रिजेक्ट किया, हमारे समर्थन में मैनडेट दिया । … (व्यवधान) महोदय, मैं बिल के ऊपर ही बोल रहा हूं ।… (व्यवधान) वर्ष 2016 में असम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई । सोनोवाल जी अभी यहां पर हैं, तब वे वहां के मुख्य मंत्री बने । उन्होंने वादा किया था । असम की छ: कम्युनिटीज़ हैं । कोच राजवंशी है, चाय बागान की कम्युनिटी है । यहां हमारे मंत्री जी मुंडा जी बैठे हैं । असम में भी हमारे एक मंत्री एतोवा मुंडा थे । मुंडा जी को ट्राइबल स्टेटस है, लेकिन एतोवा मुंडा जी को ट्राइबल स्टेटस नहीं है । झारखंड या बिहार में कुरमी को ट्राइबल स्टेटस है, लेकिन असम में नहीं है । हमारे यहां चाय बागान की कम्युनिटी भी है । कोच राजवंशी को वर्ष 1996 में नरसिम्हा राव जी की सरकार ने ऑर्डिनैंस के थ्रू ट्राइबल स्टेटस दिया था । कोच राजवंशी को बंगाल में दूसरा स्टेटस है । वह मेघालय में एस.टी. है, लेकिन असम में नहीं है । अनडिवाइडेड ग्वालपारा के जो कोच राजवंशी हैं, वे सारे बैकवर्ड हैं । असम के ही सारे बैकवर्ड हैं, लेकिन अनडिवाइडेड ग्वालपारा के कोच राजवंशी सबसे बैकवर्ड हैं । उन लोगों की भी मांग है । हमारे अहोम कम्युनिटी, मोरान, मटक की

जो मांगें हैं और देश के दूसरे हिस्सों के लोगों की जो मांगें हैं, उन सारी मांगों पर एक साथ विचार करना चाहिए ।

सभापति महोदय, हमारे असम में कालिता कम्युनिटी की सबसे पुरानी कम्युनिटी अल्पाइन कालिता है । उन लोगों की भी एक मांग थी । उसके ऊपर भी विचार-विमर्श करना चाहिए । हमारे यहां गोरिया मुसलमान, देसी मुसलमान, जिनका ऑरिजिन भी ट्राइबल और दूसरी कम्युनिटीज की थी, इन लोगों की मांगों पर भी सरकार को विचार करना चाहिए ।

सभापति महोदय, यह बोला जाएगा कि यह दूसरा विषय है, पर ये दूसरे विषय आ ही जाते हैं । सरायघाट की लड़ाई के हमारे वीर लचित बोरफुकन की 400वीं जयन्ती सरकार ने मनायी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । सरायघाट की लड़ाई हिन्दू-मुसलमान की लड़ाई नहीं थी । लचित बोरफुकन ने असम के लिए जंग की थी । उस जंग में मुगल हिन्दुस्तान के शासक रहे । मुगलों के सेनापति राजपूत राम सिंह थे । सरायघाट की लड़ाई में लचित बोरफुकन के लेफ्टिनेंट बाघ हजारिका थे । हम लोग जिसे गोरिया कम्युनिटी कहते हैं, वे बाघ हजारिका के वंशज हैं । आजकल तो सत्ता पक्ष के कुछ लोग यह कहते हैं कि बाघ हजारिका का एग्ज़िस्टेंस ही नहीं है । डॉ. सूर्य कुमार भूइयां असम के मशहूर इतिहासकार थे । वे यह लिख कर गए ।... (व्यवधान) सोनोवाल जी ऐसा नहीं कहते हैं । सोनोवाल जी के ऊपर हमारा भरोसा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं । सोनोवाल जी तो आपके पास हैं, लेकिन वे बिल्कुल सेक्युलर हैं । सभापति महोदय, गोरिया मुसलमान का मैटर भी है । मणिपुर की पंगाल कम्युनिटी भी जनजाति स्टेटस देने की मांग कर रही है । इस मांग पर भी विचार करना चाहिए ।

सभापति महोदय, उन्हें सिर्फ ट्राइबल स्टेटस दे देने से कुछ नहीं होगा । अभी सरकार एकलव्य मॉडल स्कूल्स चला रही है । मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं । एकलव्य मॉडल स्कूल्स की मोडैलिटीज़ के बारे में कहा गया कि जिस ब्लॉक में 50 फीसदी ट्राइबल्स हैं, उसी ब्लॉक में सिर्फ यह मॉडल स्कूल खोला जाएगा । इस पॉलिसी को भी थोड़ा चेंज करना चाहिए । अगर हम लोग आदिवासियों को, जनजातियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे विचार से जिस-जिस ब्लॉक में 25 फीसदी ट्राइबल्स हैं, उन ब्लॉक्स को भी ट्राइबल स्टेटस देना चाहिए ।

महोदय, बी.टी.आर. के हमारे सरनीया जी कहां हैं? बी.टी.आर. के बारे में हमारे सोनोवाल जी को पता है । वहां एक छोटी-सी कम्युनिटी मदाही ट्राइब है । उनकी भी कुछ मांग है । उसके ऊपर भी सरकार को कुछ विचार-विमर्श करना चाहिए ।

सभापति महोदय, आप बेल बजा रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, बस यह कहना चाहता हूं कि केवल ट्राइबल स्टेटस दे देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ट्राइबल लोगों के जीवन को डेवलप करना होगा, उन्हें शिक्षा देनी होगी, उनका विकास करना होगा, उन्हें पीने का पानी देना होगा और उनकी जितनी भी समस्याएँ हैं, उन सबका समाधान करना होगा ।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): चेयरमैन साहब, दी कांस्टीट्यूशन (शेड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 2022 पर मुझे बोलने की इजाजत देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया । कल भी मैंने कहा था कि मैं इरादा उसका करता हूं कि यह सारा मामला एक कॉस्मैटिक मामला है । उसूली तौर पर किसी जाति को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि क्या उसको इससे आप वे सुविधायें दे रहे हैं, जो उससे आज तक दूर हैं । ट्राइब में जिस कम्युनिटी को आप इंक्लूड करते हैं, लेकिन, उससे उनके बारे में जो भी अप्रोच है, माइंड सेट है, वह बदलता नहीं है । जो होना चाहिए, वह होता नहीं है । वे इनलिस्ट होने के बावजूद भी बिल्कुल ही डिप्राइव्ड रहते हैं, डिसएम्पॉवर्ड रहते हैं, अनअटेम्प्टेड रहते हैं । असली फोकस यह रहना चाहिए था कि हमने जो भी इनलिस्ट किए या करते जा रहे हैं, उनकी भलाई के लिए कोई बुनियादी काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वरना सारी एक्सरसाइज मीनिंगलेस होगी । मैं जम्मू-कश्मीर की बात करूंगा । हमारे यहां गुज्जर और बकरवाल एक बड़ा तबका है । उनकी तकरीबन दस लाख या उससे भी ज्यादा आबादी होगी । सबसे ज्यादा जो कोविड लॉकडाउन की वजह से अफेक्टेड रहे, इसमें वही बच्चे रहे, जो स्कूल से बाहर हो गए । उनको हम आउट ऑफ स्कूल, ओएस कहते हैं । ओएस में तादाद सबसे ज्यादा गुज्जर और बकरवालों की है, क्योंकि उनके पास स्मार्ट फोन नहीं है और कनेक्टिविटी भी नहीं है । उनका ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है । उनके पास वे साधन नहीं हैं, जिनसे वे डिजटिल एजुकेशन के जरिए, उसका लाभ हासिल करते । जनाब, जो डिजिटल डेफिशिएंसी हम कहते हैं या लैक ऑफ डिजटिल एक्सेसिबिलिटी, वह सारी बकरवाल और गुज्जर तबके में हैं । इसी तरह से बाहर बाकी जगहों पर भी होगी, जो मुल्क में बाकी जगह हैं । सबसे ज्यादा इफेक्टेड वहीं हैं और सबसे ज्यादा काम वहीं किया जा रहा है । आज भी उस तबके की, उस कम्युनिटी की कोई दो महिलायें हैं, उनको भी तालीम का लाभ नहीं मिला है । खवातीन में कुल 18 पर्सेंट के करीब लिट्रेसी रेट है । जनाब, एक्सेज टू हेल्थकेयर तकरीबन न के बराबर है । अंडर प्रिविलेज और बिलो जो इस वक्त पॉपुलेशन का सेगमेंट है, वह सबसे ज्यादा यही है, जिसको आप इनलिस्ट करते हैं ।

जनाब, आपने उज्ज्वला योजना बनायी, ताकि हम खवातीन की मदद करें । उनको जो पोल्युशन के असरात होते हैं, जो कि चैलेंज होते हैं, उससे उनको निजात मिले । यहां पर जो जंगलों में रहते हैं, उन तक इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है । उनके लिए कोई आउटलेट नहीं है, जहां पर उनको ये जो आपका इतना एंबिशस प्लान है कि हम हर एक घर में गैस सिलेंडर देंगे, वह उन तक पहुंच ही नहीं रहा है । जो अमली कदम उठाने हैं, वे अमली कदम नहीं उठाये जा रहे हैं ।

सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सारे कश्मीर में तो 40 पर्सेंट से कम आबादी को मिलता है, तो वहां तो बिल्कुल ही नहीं है, बिजली भी नहीं है । आप हैरान रह जाएंगे, जहां पर भी बिजली है, वहां बारबेड वायर पर बिजली दी जा रही है । बिजली की एक्सिसबिलिटी है । महज एक कम्युनिटी को आप इनलिस्ट कर रहे हैं, कि हमने आपको भी शेड्यूल ट्राइब बनाया । असल लाभ जो है, वह लॉ देने का है । न ही एक्सेसिबिलिटी हेल्थ केयर में है, न ही इंप्लायमेंट में है, न ही डिजिटल एजुकेशन में है और न ही डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में है । कहीं पर भी उनका कोई परिवर्तन और वेलफेयर नहीं हो रहा है । मेरी यह गुजारिश होगी कि अगर आप कर रहे हैं तो इसके साथ-साथ हमारा एफर्ट सिंकनाइज होना चाहिए, एक हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, ताकि इनका वेलफेयर हो सके ।

अब जो बच्चे कोविड के बाद वापस आ रहे हैं । उनमें शेड्यूल ट्राइब्स की तादाद कम है, क्योंकि वे अपनी एजुकेशन को कांटीन्यू नहीं रख सके । एक्सेसिबिलिटी नहीं रही, उनके पास कोई स्मार्ट फोन है ही नहीं । इसमें गर्ल चाइल्ड्स ज्यादा मुतासिर रही, क्योंकि घर में अगर स्मार्ट फोन आता भी है तो वह लड़कों को दिया जाता है, लड़की को नहीं दिया जाता है । मेरी सरकार से यह गुजारिश होगी कि उनके कल्याण के लिए अमलीजामा हो ।

-

-

-

-

श्री बी. बी. पाटील (जहीराबाद): महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद । मैं इन समुदायों को शामिल करने का समर्थन करता हूं । केवल अनुसूचित जाति की सूची में समुदायों को शामिल करने के कारण आदिवासी समुदायों को लाभ नहीं मिल सकता है । हमारे देश में आदिवासी समुदायों के विकास के लिए उचित वित्तीय सहायता बहुत आवश्यक है ।

आदिवासी और दलित अधिक वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार उन्हें कोई सहायता देने को तैयार नहीं है । सरकार सोचती है कि एससी और एसटी सूची में उनके नाम शामिल होने से सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में उनके लिए नई जगह बनेगी, लेकिन भारत में वास्तविकता क्या है, यह आपको पता ही है । देश में सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र में 13 लाख पद खाली पड़े हैं, उसी तरह सेना में 1 लाख 31 हजार पद खाली पड़े हैं और रेलवे में 2 लाख 26 हजार पद खाली पड़े हैं । सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कई पद खाली पड़े हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि इन खाली पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

पिछले पांच सालों में इस सरकार ने दो लाख से भी कम पद भरे हैं, यानी प्रति वर्ष 40,000 खाली पद ही भरे जा रहे हैं । मैं यहां रेखांकित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले पांच सालों में एक भी सलाही या दलित को दूरसंचार विभाग में नौकरी नहीं मिली है । ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा निजीकरण के कारण हुआ है । यह सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण देने को तैयार नहीं है । वे इतना निजीकरण कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों और दलितों को रोजगार नहीं मिल रहा है । निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण बहुत जरूरी है । आदिवासियों को निजी क्षेत्र में भी शामिल करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए । शिक्षा क्षेत्र में खासकर उत्तर प्रदेश में आदिवासियों की क्या स्थिति है? 21 केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में पिछले एक साल में एक भी आदिवासी रिसर्च स्कॉलर को प्रवेश नहीं मिला है ।

पिछले एक साल में एक भी दलित शोघ छात्र को केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश नहीं मिला है । अधिकांश आदिवासी सरकारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र पर निर्भर हैं, लेकिन सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के धन के आबंटन को कम कर रही है, इसे ठीक करना बहुत जरूरी है ।

सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए । आदिवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण बहुत अधिक है । इन सब बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए । दूसरी ओर, हमारे सीएम के.सी.आर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं । हमारे तेलंगाना राज्य में हमने सर्वसम्मति से तेलंगाना विधान सभा में आरक्षण विधेयक पारित किया था । हमारे माननीय मुख्यमंत्री के.सी.आर ने अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है, लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं किया है ।

हमारे राज्य में एससी/एसटी और सभी गरीबों को उनके उत्थान के लिए हर महीने 2116 रुपये पेंशन दी जा रही है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री के.सी.आर ने दलित बंधु के रूप में जानी जाने वाली एक योजना शुरू की, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को बिना पुनर्भुगतान के 10 लाख रुपये की ग्रांट दी जाती है । तेलंगाना सरकार ने अधिक से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को यह लाभ देने के लिए काम किया है । इसके अलावा आदिवासी बहनों व लड़कियों के लिए कल्याण लक्ष्मी योजना के तहत हम लोग 1,00,116 रुपये देते हैं । इस तरीके की स्कीम्स तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही है । आंध्र प्रदेश में अधिनियम 2014 की धारा 94 के तहत तेलंगाना राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए केन्द्र सरकार को सभी आवश्यक व्यवस्था बनानी थी । इस संबंध में वारंगल के पास मुलुगु मंडल के जकारम गांव में 512 एकड़ भूमि को इस संस्थान की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले ही चिन्हित किया जा चुका है । यह भारत सरकार के पास विचाराधीन है, लेकिन यह कार्य बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है । मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि तेलंगाना राज्य के आदिवासी और दलित समुदायों के समर्थन और उत्थान के लिए इस प्रक्रिया को तेज करें और ऐसी योजनाएं भी लाएं जिससे न केवल तेलंगाना बल्कि देश में सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की वास्तविक बेहतरी हो ।

मैं तेलंगाना की तरफ से बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति विशेष विकास निधि के तहत वर्ष 2017-18 में 14375 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे । मैस/डाइट शुल्क के लिए 32 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है । हमारी सरकार ने बहनों की शादी के लिए वर्ष 2017-18 में करीब 210 करोड़ रुपये आबंटित किये थे ।

माननीय सभापति: आप बिल के ऊपर बोलिए ।

श्री बी. बी. पाटील (जहीराबाद): सर, यह सुनना जरूरी है । अम्बेडकर विदेशी विद्या निधि योजना के तहत छात्रवृत्ति अनुदान को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर विदेश में उच्च अध्ययन के लिए प्रति अनुसूचित जाति के छात्र को 20 लाख रुपये तक देने का कवर किया है ।

इंटर कास्ट मैरिज के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से 50 हजार रुपये का इन्सेन्टिव दिया जाता है । 268 समाज कल्याण स्कूल और कॉलेजों के लिए 1151 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है । तेलंगाना सरकार द्वारा स्पेशल डेवलपमेंट के लिए 16,453 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं । अपलिफ्टिंग के लिए ये सब करना जरूरी है, ये सब बातें बताना बहुत जरूरी थीं । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): माननीय सभापति महोदय, सदन में हिमाचल राज्य से संबंधित जनजाति सूची में सम्मिलित करने की दृष्टि में कल से माननीय सदस्यों ने बड़ी मात्रा में इस बिल की चर्चा में भाग लिया । इसमें श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, श्री सुरेश कश्यप, श्रीमती अपरूपा पोद्दार, श्री अरविंद सावंत, कुमारी गोड्डेति माधवी, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, डॉ. एस. टी. हसन, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, श्री हनुमान बेनिवाल, श्रीमती नवनीत रवि राणा, श्री पी. रविन्द्रनाथ, श्री इंद्रा हांग सुब्बा, श्री नव कुमार सरनीया और श्री राम कृपाल यादव सहित कई सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और अधिकांश माननीय

सदस्यों ने इस संशोधन विधेयक का समर्थन भी किया । सभी माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिए और इस बिल का समर्थन किया, मैं उनका आभारी हूं ।

सभापति जी, आज संविधान संशोधन विधेयक, 2022 हिमाचल राज्य के संबंध में प्रस्तुत किया गया है । हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जो वर्षों से सुदूरवर्ती, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ रहते आए हैं, के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है । यह प्रावधान सीमित क्षेत्रों के लिए किया है, हिमाचल प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्रों के लिए नहीं है । हिमाचल प्रदेश का ट्रांस-गिरी एक रीजन है, एक क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में सीमित लोगों के लिए प्रावधान है क्योंकि वे आदिकाल से अपनी परंपराओं के साथ रह रहे हैं जो जनजातीय चरित्र को परिदर्शित करता है । इस देश में जो मानक हम सबने तय किया है, उस मानक के आधार पर जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पूरा करते हुए, सदन में पारित कराने के पहले जो विधियां अपनाई जाती हैं, जो मोडेलिटीज़ हैं, सब मोडेलिटीज़ की औपचारिकताओं को पूरा करते हुए यह बिल सदन में लाया गया है ।

महोदय, यह वह क्षेत्र है जो उत्तरांचल से लगा हुआ है और इससे आगे बार्डर है । ट्रांस-गिरी, जौनसारी और सिरमौर, सिरमौर बहुत पहले एक रियासत होती थी और एक ही रियासत में जौनसारी रियासत भी थी और ट्रांसगिरी भी थी । जौनसारी में ऑलरेडी ये सारी कम्युनिटीज़ अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध हैं जो उत्तरांचल में रहने वाली हैं, लेकिन हिमाचल में रहने वाले उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के परिवार, वैसे ही लोग, इस सूची से वंचित हैं । सभापति जी, कल भी मैंने सदन में इस बात का जिक्र किया था कि इस बात को ध्यान में रखें कि ऐसे लोग जो संविधान की व्यवस्था में आधिकारिक होते हुए इससे वंचित हैं, उन्हें इसमें कैसे लाया जाए । तमिलनाडु में सुदूरवर्ती जंगल में रहने वाली मात्र 27,000 आबादी है, कल हमने सदन में इस बात को रखा और उन्हें सूचीबद्ध कराने के लिए सदन में प्रस्ताव पारित किया । हमने इसी तरह से ट्रांस-गिरी एरिया के चार ब्लॉक्स में रहने वाले लोगों को इसमें सम्मिलित किया ।

सभापति जी, मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव उन्हें न्याय और सुविधा देने वाला प्रस्ताव है, जो वर्षों से उपेक्षित रहे हैं ।

माननीय सभापति: यदि सदन की सहमति हो तो मंत्री जी का उत्तर पूर्ण होने तक, बिल पर निर्णय होने तक इस आइटम का समय बढ़ाया जाता है ।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां ।

श्री अर्जुन मुंडा : सभापति महोदय, मैं संक्षिप्त में बोलूंगा । माननीय सदस्यों ने इसके साथ कुछ अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित विषय भी जाहिए किए हैं । मैं निश्चित रूप से उनका ध्यान कुछ चीजों के बारे में आकृष्ट कराना चाहूंगा । सप्तगिरी उलाका जी ने ट्राइबल लैंड एलीनेशन के बारे में कहा है । हम सभी राज्यों के साथ इस विषय पर बात कर रहे हैं, क्योंकि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है और जो नियम है, जो प्रावधान है, हम राज्य के कानून के माध्यम से ही उसको संरक्षित कर रहे हैं । संविधान में यह कहा गया है कि लैंड एलीनेशन रुकना चाहिए, लेकिन लैंड एलीनेशन राज्यों के व्यवस्था प्रबंधन के आधार पर एवं इस बात

को ध्यान में रखते हुए कि सभी राज्य इस बात को सुनिश्चित करें कि ट्राइबल लैंड एलीनेशन न हो । हम केन्द्रीय स्तर पर भी हमेशा यह स्मरण और रिव्यू करते रहते हैं और इस पर बातचीत जारी है ।

महोदय, इसी तरीके से कल और आज भी धनगड़ और धनगर कम्युनिटी के बारे में कहा गया है । सुप्रिया सुले जी और एस. टी. हसन जी ने यह विषय उठाया था । मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह मामला हमारे यहां लंबित नहीं है । सन् 1979 में यह मामला आया था । सन् 1981 में राज्य सरकार ने खुद ही इसको विद्ड्रॉ कर लिया था, इसलिए यह विचाराधीन नहीं है । इसके अलावा भी जितने भी विषय कम्युनिटी से संबंधित हैं, मेरा मंत्रालय हमेशा संबंधित राज्य को जानकारी भेजता है और उनसे सारी सूचनाएं प्राप्त करता है एवं अग्रतर कार्रवाई करता है । इस ढंग से मेरा मंत्रालय लगातार काम कर रहा है । महोदय, इस अवसर कुछ माननीय सदस्यों ने, खासकर नवनीत राणा जी ने कुपोषण एवं सिकल-सेल से संबंधित मामले को भी उठाया है । ट्राइबल हेल्थ के बारे में मेरा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर कार्य-योजना पर काम कर रहे हैं कि इस तरह की सिकल-सेल की जो समस्या है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए और उस पर ब्लड टेस्ट की कार्रवाई भी चल रही है । उसमें अच्छी प्रगति हो रही है । हम इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं । इसी तरीके से कई माननीय सदस्यों ने एजुकेशनल फैसेलिटी के बारे में कहा है । मैंने कल भी कहा था कि हम लगातार ऐसे स्थानों का गैप एनॉलिसिस करते हैं । माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विशेष तौर से कहा है और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं । कुल-मिलाकर इस विधेयक से संबंधित जो विषय हैं, मैंने उनको आपके सामने रखा है । कई माननीय सदस्यों ने जो भी विषय उठाए हैं, अगर वे अलग से भी बात करना चाहते हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा । अब मैं आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित किए जाने का उपबंध करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

श्री अर्जुन मुंडा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

-

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।